ऑनलाईन पैसे कमाने का लालच देकर ठग लिये लगभग 7 लाख रूपये

पिथौरागढ़ पुलिस ने दो आरोपियों को मुम्बई से धर दबोचा

दिनांक 02.07.2023 को श्री मयंक सामन्त निवासी टकाना, पिथौरागढ द्वारा साईबर सैल पिथौरागढ़ में तहरीर दी थी कि उनको एक मैसेज आया कि आप घर मे ऑनलाइन काम करोगे, जिसमें क्लिक कर ओपन करने पर बताया गया था कि ट्रेनिग कैसे करनी है, और ऑनलाईन काम कैसे करना है। उसके बाद वादी द्वारा रू 200/-रू एक व्यक्ति के खाते मे जमा किये तद्पश्चात, कमीशन के तौर पर रू 90/- वादी के खाते मे आये उसके वाद उसे ट्रेलीग्राम लिंक भेजा गया । वादी ठगों के जाल में फंसता गया तथा अलग-अलग नम्बरों पर कुल 664663/- रू की ठगी का शिकार हो गया । तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 420 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया । पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ श्री लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार, उ0नि0 प्रदीप यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा साईबर सैल की मदद से दो अभियुक्तों क्रमशः 1-रमेश प्रसाद पुत्र नरोत्तम गुप्ता निवासी म0न0 507/31 महाणारूल्तानगर कांदीवली वेस्ट थाना चारकोप, मुम्बई तथा 2- भरत सिंह पुत्र लेहरू सिंह निवासी दूध तलाई थाना कपासन जिला चित्चौड़गढ़ राजस्थान उम्र 21 वर्ष, हाल निवासी गोवर्धनदास बिल्डिंग नियर सेन्टर प्लाजा थाना विट्ठलदास मार्ग मुम्बई को दिनांक 16.01.2024 को थाना चारकोट व थाना मित्थलवाई पटेल मार्ग मुम्बई से गिरफ्तार कर धारा 41क CRPC का नोटिस तामील कराया गया । अभियुक्तों को समय से पुलिस/ मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने की हिदायत दी गयी ।

ऑनलाईन पैसे कमाने का लालच देकर ठग लिये लगभग 7 लाख रू

पिथौरागढ़ पुलिस ने दो आरोपियों को मुम्बई से धर दबोचा